न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 33/2020

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 रावताराम 2 मदनलाल 3 नेमाराम पिसरान खीमाराम जाति कुमावत निवासी भाड़खा पुरोहितान तहसील व जिला बाडमेर।		1 खींमाराम पुत्र आदूराम निवासी भाड़खा पुरोहितान 2 धापूदेवी पुत्री खींमाराम पत्नी भंवरलाल निवासी मंगनाणियों की ढाणी, भाड़खा 3 नथाराम 4 भमराराम 5 गुमनाराम पिसरान काछबाराम 6 माझू पत्नी काछबाराम 7 अणदाराम 8 ताराराम 9 अर्जुनराम 10 देवाराम पिसरान जोधाराम 11 बबरी पत्नी जोधाराम 12 सताराम पुत्र आदूराम 13 सांवताराम पुत्र केसराराम 14 करनाराम 15 जेठाराम 16 खुशालाराम पिसरान आम्बाराम 17 मथरी पत्नी आम्बाराम 18 कुम्भाराम 19 लालाराम 20 इन्द्राराम पिसरान समरथाराम 21 मोबताराम 22 धर्माराम पिसरान शंकराराम 23 कुंतादेवी पत्नी शंकाराराम 24 मेहराराम 25 मंगलाराम 26 भूराराम 27 खंगाराराम पिसरान हुकमाराम 28 वदू पत्नी खंगाराराम 29 वाबूलाल 30 गोरखाराम पिसरान वगताराम 31 जसोदादेवी पत्नी वगताराम 32 जुगताराम पुत्र जानाराम 33 मघाराम 34 चनणाराम 35 बंशीलाल पिसरान लूणाराम 36 मानाराम 37 किशनाराम 38 हरजीराम 39 भंवरराम 40 उदाराम पिसरान भेराराम 41 भोपाराम पुत्र केसराराम 42 खेताराम 43 लच्छाराम 44 शंकराराम पिसरान कुटलाराम जाति कुमावत निवासी भाड़खा पुरोहितान तहसील व जिला बाडमेर 45 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधराम ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री देवीलाल कुमावत, वकील वादीगण।
2. श्री कुमार कौशल, वकील प्रतिवादीगण।

निर्णय

दिनांक 18.2.21

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा हिन्दू विधि से शासित है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 प्रतिवादी संख्या 01 के जायन्दा पुत्र–पुत्री है तथा पूर्वज आदूराम के वंशज है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा नारणाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील बाडमेर के खेत खसरा संख्या 322/100 रकबा 30.05 बीघा भूमि, मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील बाडमेर के खेत खसरा संख्या 803/408 रकबा 08.03 बीघा तथा मौजा भाड़खा पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 914/578 रकबा 07.05 बीघा तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 03 से 13 की संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि मौजा भाड़खा पटवार क्षेत्र भाड़खा के खसरा संख्या 269 रकबा 16.14 बीघा व खसरा संख्या 218 रकबा ... बीघा भूमि आई हुई है। वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 02, प्रतिवादी संख्या 01 की विधिक वारिसान होने के नाते वादग्रस्त भूमि में अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 02 वादीगण की शादिसुदा बहिन होने के नाते उसका हक वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उसकी शादी के समय दिया जा चुका है, जिस कारण प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2022.02.22 16:08:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर
सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

02 वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा नही रहा तथा मात्र वारिशान होने के नाते औपचाकि पक्षकार बनाये गई है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से निम्नप्रकार है :–

मौजा	खसरा संख्या	रकबा	प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सा	नोशनल शेयर के हिसाब से वादीगण प्रत्येक का हिस्सा	प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा
नारणाणियों की ढाणी	322/100	30.05	आवगा	1/4–1/4	1/4
भाड़खा पुरोहितान	803/408	08.03	आवगा	1/4–1/4	1/4
भाड़खा	269	16.14	1/8	1/32–1/32	1/32
	212	05.09	1/6	1/24–1/24	1/24
खारिया तला	914/578	07.05	आवगा	1/4–1/4	1/4
भाड़खा	222	08.14	1/16	1/64–1/64	1/64
	225	08.12	1/48	1/192–1/192	1/192
	223	10.18	1/12	1/48–1/48	1/48

प्रतिवादी संख्या 03 से 44 सहखातेदार होने मात्र से पक्षकार बनाये गये है तथा प्रतिवादी संख्या 45 के यह भूमि रहन होने से पक्षकार बनाया गया है, उनसे किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 खींमाराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 06 के अनुसार पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायकी अर्थात पैतृक भूमि में जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाता है। लिहाजा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का उक्तानुसार वादग्रस्त भूमि हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण, प्रतिवादी खीमाराम के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादीगण उक्त सारणी अनुसार हिस्सा जन्म से निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 02 ने स्वीकार किया कि प्रतिवादी संख्या 02 को उसका हक वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उसकी शादी के समय दिया जा चुका है, जिस कारण प्रतिवादी संख्या 02 वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा नही रहा तथा मात्र वारिशान होने के नाते औपचाकि पक्षकार बनाये गई है। वादीगण को उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित कर उक्त सारणी अनुसार हिस्सा घोषित किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2022.02.22 16:08:54 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण द्वारा प्रस्तुत [illegible] मिसल किया गया। वाद पत्र के साक्ष्य में वादी संख्या 02 मदनलाल द्वारा अवगत करवाया कि वाद के समर्थन में उसके द्वारा बन्दोबस्त की प्रतियां प्रस्तुत की है, जो प्रदर्श–1 से प्रदर्श–4 है तथा वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दीयां प्रदर्श–5 से प्रदर्श–12 है। प्रतिवादी संख्या 02 खींमाराम की भी साक्ष्य ली गई। वादी संख्या 02 एवं प्रतिवादी संख्या 02 ने अवगत करवाया कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि है तथा उक्त भूमि में वादीगण तथा

सहायक कलेक्टर

प्रतिवादी संख्या 02 का उक्तानुसार हिस्सा जन्म से निहित है, उसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 खींमाराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए उपर्युक्त सारणी अनुसार हिस्सा घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा नारणाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाडखा तहसील बाडमेर के खेत खसरा संख्या 322/100 रकबा 30.05 बीघा भूमि, मौजा भाडखा पुरोहितान पटवार क्षेत्र भाडखा तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 803/408 रकबा 08.03 बीघा तथा मौजा भाडखा पटवार क्षेत्र भाडखा तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 914/578 रकबा 7.05 बीघा तथा मौजा भाड़खा पटवार क्षेत्र भाडखा तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 269 रकबा 16.14 बीघा व खसरा संख्या 212 रकबा 05.09 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 खींमाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 खींमाराम का हिस्सा निम्नानुसार खातेदारी का घोषित किया जाता है:-

मौजा	खसरा संख्या	रकबा	प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सा	नोशनल शेयर के हिसाब से वादीगण प्रत्येक का हिस्सा	प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा
नारणाणियों की ढाणी	322/100	30.05	आवगा	1/4-1/4	1/4
भाड़खा पुरोहितान	803/408	08.03	आवगा	1/4-1/4	1/4
भाड़खा	269	16.14	1/8	1/32-1/32	1/32
	212	05.09	1/6	1/24-1/24	1/24
खारिया तला	914/578	07.05	आवगा	1/4-1/4	1/4
भाड़खा	222	08.14	1/16	1/64-1/64	1/64
	225	08.12	1/48	1/192-1/192	1/192
	223	10.18	1/12	1/48-1/48	1/48

प्रतिवादी संख्या 01 खींमाराम का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2022.02.22 16:08:54 IST
Reason: SelfAttested

(रोहित चौहान)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

कलक्टर (SDO) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 18.2.21 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री रोहित चौहान (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. रावताराम 2 मदनलाल 3 नेमाराम पिसरान खीमाराम जाति कुमावत निवासी भाड़खा पुरोहितान तहसील व जिला बाडमेर।		1 खींमाराम पुत्र आदूराम निवासी भाड़खा पुरोहितान 2 धापूदेवी पुत्री खींमाराम पत्नी भंवरलाल निवासी मंगनाणियों की ढाणी, भाड़खा 3 नथाराम 4 भमराराम 5 गुमनाराम पिसरान काछबाराम 6 माझू पत्नी काछबाराम 7 अणदाराम 8 ताराराम 9 अर्जुनराम 10 देवाराम पिसरान जोधाराम 11 ववरी पत्नी जोधाराम 12 सताराम पुत्र आदूराम 13 सांवताराम पुत्र केसराराम 14 करनाराम 15 जेठाराम 16 खुशालाराम पिसरान आम्बाराम 17 मथरी पत्नीं आम्बाराम 18 कुम्भाराम 19 लालाराम 20 इन्द्राराम पिसरान समरथाराम 21 मोवताराम 22 धर्माराम पिसरान शंकरराम 23 कुंतादेवी पत्नी शंकाराराम 24 मेहराराम 25 मंगलाराम 26 भूराराम 27 खंगाराराम पिसरान हुकमाराम 28 वदू पत्नी खंगाराराम 29 बाबूलाल 30 गोरखाराम पिसरान वगताराम 31 जसोदादेवी पत्नी वगताराम 32 जुगताराम पुत्र जानाराम 33 मघाराम 34 चनणाराम 35 बंशीलाल पिसरान लूणाराम 36 मानाराम 37 किशनाराम 38 हरजीराम 39 भंवराराम 40 उदाराम पिसरान भेराराम 41 भोपाराम पुत्र केसराराम 42 खेताराम 43 लच्छाराम 44 शंकराराम पिसरान कुटलाराम जाति कुमावत निवासी भाड़खा पुरोहितान तहसील व जिला बाडमेर 45 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधराम ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा।

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :– 33/2020

निर्णय दिनांक :– 18.2.21

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .... को श्री रोहित चौहान, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा नारणाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील बाडमेर के खेत खसरा संख्या 322/100 रकबा 30.05 बीघा भूमि, मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 803/408 रकबा 08.03 बीघा तथा मौजा भाड़... क्षेत्र भाड़खा तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 914/578 रकबा 7.05 बीघा मौजा ... पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 269 रकबा 16.14 बीघा ... खसरा संख्या 212 रकबा 05.09 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 खींमाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 खींमाराम का हिस्सा निम्नानुसार खातेदारी का घोषित किया जाता है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2022.02.22 16:08:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

मौजा	खसरा संख्या	रकबा	प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सा	नोशनल शेयर के हिसाब से वादीगण प्रत्येक का हिस्सा	प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा
नारणाणियों की ढाणी	322/100	30.05	आवगा	1/4–1/4	1/4
भाड़खा पुरोहितान	803/408	08.03	आवगा	1/4–1/4	1/4
भाड़खा	269	16.14	1/8	1/32–1/32	1/32
	212	05.09	1/6	1/24–1/24	1/24
खारिया तला	914/578	07.05	आवगा	1/4–1/4	1/4
भाड़खा	222	08.14	1/16	1/64–1/64	1/64
	225	08.12	1/48	1/192–1/192	1/192
	223	10.18	1/12	1/48–1/48	1/48

प्रतिवादी संख्या 01 खींमाराम का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 18.2.21......... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(रोहित चौहान)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बाडमेर

सहायक कलक्टर (S D O) बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेषिका की तामिल		जोड़	
जोड़			

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2022.02.22 16:08:54 IST
Reason: SelfAttested